बिहार सरकार

विधि विभाग

पत्र संख्या-सी0/ई0एच0-79/2011 (खण्ड)-1547../जे0, पटना, दिनांक-24.02.2023

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शीत

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:- वित्त विभाग।

विषयः- माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं राज्य के व्यवहार न्यायालयों में बिहार सरकार की ओर से वचनबद्ध विधि पदाधिकारियों/विविध अन्य अधिवक्ताओं तथा सम्बद्ध कनीय/सहायक अधिवक्ताओं एवं निजी लिपिकों के शुल्क का पुनर्निर्धारण के संबंध में।

....

आदेश:- स्वीकृत।

2. CWJC No.-16775/2022 (सत्यम शिवम सुन्दरम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-22.12.2022 एवं दिनांक-23.12.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा राज्य के व्यवहार न्यायालयों में बिहार सरकार की ओर से वचनबद्ध विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों/अन्य अधिवक्ताओं तथा उनके साथ सम्बद्ध कनीय/सहायक अधिवक्ताओं/निजी लिपिकों के पूर्व निर्धारित शुल्क के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति द्वारा दिनांक-17.02.2023 को विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा यह महसूस किया गया कि उनके शुल्क में वृद्धि वांछनीय है।

3. उच्चस्तरीय समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत की गयी अनुशंसा के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा राज्य के व्यवहार न्यायालयों में बिहार सरकार की ओर से वचनबद्ध विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों/विविध अन्य अधिवक्ताओं तथा उनके साथ सम्बद्ध कनीय/सहायक अधिवक्ताओं एवं निजी लिपिकों को पूर्व निर्धारित शुल्क के स्थान पर निम्न मासिक शुल्क निर्धारित की जाती है:-

क्र0	विधि पदाधिकारी की कोटि	कुल मासिक शुल्क
1	*2*	*3*
1	अपर महाधिवक्ता (उच्च न्यायालय)	1,75,000/-
2	राजकीय अधिवक्ता (उच्च न्यायालय)	1,40,000/-
3	सरकारी वकील (उच्च न्यायालय)	1,20,000/-
4	स्थायी सलाहकार (उच्च न्यायालय)	1,20,000/-
5	अपर लोक अभियोजक (उच्च न्यायालय)	70,000/-
6	विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), उच्च न्यायालय	70,000/-
7	सहायक अधिवक्ता (उच्च न्यायालय)	60,000/-

क्र0 सं0	विधि पदाधिकारी की कोटि	कुल मासिक शुल्क
8	विशेष लोक अभियोजक (खनन) उच्च न्यायालय	70,000/-
9	विशेष लोक अभियोजक (खनन) के कनीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय	60,000/-
10	विधि पदाधिकारी (प्रभारी), निगरानी, उच्च न्यायालय	1,20,000/-
11	विधि पदाधिकारी, (निगरानी), उच्च न्यायालय	1,00,000/-
12	विधि पदाधिकारी (प्रभारी), निगरानी के कनीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय	60,000/-
13	जिला के लोक अभियोजक	70,000/-
14	जिला के अपर लोक अभियोजक	50,000/-
15	जिला के विशेष लोक अभियोजक	70,000/-
16	जिला के सरकारी वकील	70,000/-
17	जिला के सहायक सरकारी वकील	50,000/-
18	विशेष लोक अभियोजक (निगरानी)	70,000/-
19	कनीय अधिवक्ता (विशेष लोक अभियोजक, निगरानी)	40,000/-
	विविध अन्य अधिवक्ता	
20	विशेष सरकारी अधिवक्ता (राजस्व पैनल)	70,000/-
21	सहायक सरकारी अधिवक्ता (राजस्व पैनल)	60,000/-
22	सरकारी काउन्सेल (CAT)	1,20,000/-
23	सरकारी काउन्सेल (CAT) के कनीय अधिवक्ता	60,000/-
24	राजकीय अधिवक्ता (झारखंड, राँची)	1,40,000/-
25	कनीय अधिवक्ता (झारखंड, राँची)	60,000/-
26	पैनल अधिवक्ता (बिहार पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल)	1,00,000/-

अंशकालीन निजी लिपिक का मानदेय

क्र0 सं0	अंशकालीन लिपिक	मासिक मानदेय
1	*2*	*3*
1	महाधिवक्ता, बिहार के अंशकालीन लिपिक	25,000/-
2	विधि पदाधिकारी, उच्च न्यायालय, पटना के अंशकालीन लिपिक	20,000/-
3	विशेष सरकारी अधिवक्ता (राजस्व पैनल) के अंशकालीन लिपिक	20,000/-
4	लोक अभियोजक/सरकारी वकील, व्यवहार न्यायालय के अंशकालीन लिपिक	15,000/-
5	विशेष लोक अभियोजक (खान), उच्च न्यायालय, पटना के अंशकालीन लिपिक	15,000/-

(4) कंडिका-(1) में क्रम संख्या-1 से 26 तक में वर्णित सभी अधिवक्ताओं को निर्धारित कुल मासिक शुल्क का 60 प्रतिशत राशि निश्चित रूप से देय होगी एवं शेष 40 प्रतिशत राशि प्रति कार्य दिवस पर न्यूनतम दो केस की दर से मासिक आधार पर देय होगा। किसी मास में निर्धारित दर से कम केसों की संख्या होने की स्थिति में उक्त 40 प्रतिशत का भुगतान समानुपातिक गणना कर किया जायेगा। समानुपातिक गणना का आधार माह में कुल कार्य दिवस एवं कुल संचालित केसों की संख्या होगी।

(5) उपर्युक्त निर्धारित मासिक शुल्क आदेश निर्गत की तिथि से देय होगा तथा पूर्व निर्गत शुल्क निर्धारण संबंधी विधि विभागीय ज्ञाप संख्या-6949/जे0, दिनांक-
16.08.2018, ज्ञाप संख्या-9734/जे0, दिनांक-10.12.2018, ज्ञाप संख्या-5417/जे0, दिनांक-15.06.2022 एवं ज्ञाप संख्या-9412/जे0, दिनांक-18.11.2022 को आदेश निर्गत की तिथि से अवक्रमित समझा जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-1547................/जे0, पटना, दिनांक-24.02.2023

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

C:\Users\HCLA\Desktop\FEE DRAFT2023.Docx

ज्ञाप संख्या-1547................/जे0, **पटना, दिनांक-24.02.2023**

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.2023

(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।